भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 698

दिनांक 7 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण

698 श्रीमती रचना बनर्जी:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
डॉ. नामदेव किरसान:
डॉ. लता वानखेड़े:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019 से महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए शुरु की गई और कार्यान्वित की गई प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के लिए आवंटित निधियों का वर्षवार, योजनावार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र के गड़चिरोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) देश में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शुरु की गई/प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ड़) क्या सरकार ने महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पहल की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर पर उक्त योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च) बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए, देश में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण सहित मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं को तीन अम्ब्रेला मिशनों अर्थात (1) देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; और (3) कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा, देखरेख और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य में शामिल किया गया है। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): इस मिशन के तहत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक उप-घटकों: (i) पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचा में पुनर्गठित किया गया है।

(ii) **मिशन शक्ति:** इसमें महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए क्रमशः दो घटक 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं।

(क) संबल - संबल घटक के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं शामिल की गई हैं: **-** हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत और समन्वित तरीके से निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)**; **महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल)** 24x7x 365 टोल-फ्री आपातकालीन/गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है जो ईआरएसएस (112) और अन्य मौजूदा हेल्पलाइन/संस्थानों के साथ एकीकृत है; **-** जन्म के समय घटते लिंग अनुपात (एसआरबी) और जीवन चक्र निरंतरता पर लड़कियों और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)**; **नारी अदालत -** एक पहल जिसका उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करके महिलाओं को सशक्त बनाना तथा वैकल्पिक विवाद समाधान, शिकायत निवारण, परामर्श, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेना, दबाव समूह कार्यनीति, बातचीत, मध्यस्थता और सुलह जैसी सेवाएं प्रदान करना है।

(ख) सामर्थ्य - 'सामर्थ्य' घटक के तहत निम्नलिखित योजनाएं शामिल की गई हैं: **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) -** एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना, जिसके तहत पहले बच्चे और दूसरी बालिका के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थियों को नकद प्रोत्साहन दिया जाता है; **उज्ज्वला और स्वाधार गृह (नया नाम शक्ति सदन)** –

दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं सहित संकटग्रस्त महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह; **कामकाजी महिला छात्रावास (नया नाम सखी निवास)** – का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधापूर्ण स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है; **राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण केन्द्र (एनएचईडब्लू)** का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर और जिला स्तर पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतरक्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना और **राष्ट्रीय क्रेच योजना (नया नाम पालना)** का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में गुणवत्तायुक्त क्रेच सुविधा प्रदान करके अर्थव्यवस्था में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

(iii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य में जरूरतमंद बच्चों तक बेहतर पहुंच और सुरक्षा तथा मिशन मोड में देखरेख के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) शामिल है, जिसका उद्देश्य: (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सहायता और सहारा देना, (ii) विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना, तथा (iii) अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के लिए आवंटित निधि का वर्ष-वार, योजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक-I में संलग्न है।**

मंत्रालय अपनी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरा नहीं रखता है। तथापि, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक II में दिया गया है।**

महिला सशक्तीकरण और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई पहलों का विवरण इस प्रकार है:

I. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

- **सामुदायिक स्तर पर कुपोषण के प्रबंधन के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल (सीएमएएम प्रोटोकॉल):** पहली बार, एमडब्ल्यूसीडी द्वारा एमओएचएफडब्ल्यू के इनपुट के साथ मानकीकृत राष्ट्रीय 'कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल' (सीएमएएम प्रोटोकॉल) का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत उपाय दिए गए हैं, जिसमें रेफरल, पोषण प्रबंधन और अनुवर्ती देखभाल के लिए निर्णय लेना शामिल है। यह प्रोटोकॉल 10 अक्टूबर, 2023 को जारी किया गया था।

- **मिलेट्स (श्रीअन्न) को पूरक पोषण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।** पोषण पखवाड़ा 2023 में स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स के बारे में जागरूकता और प्रचार-प्रसार के लिए एक करोड़ गतिविधियां आयोजित की गईं। पोषण 2.0 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, सप्ताह में एक बार पूरक पोषण के तहत मिलेट्स अनिवार्य रूप से दिया जाना है। गर्भवती महिलाओं के लिए छह अर्थात उत्तर, उत्तर-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और मध्य क्षेत्र-वार आहार चार्ट तैयार किए गए हैं।
- **लाभार्थियों के लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र से दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र में स्थानांतरण की सुविधा:** यदि लाभार्थी किसी अन्य आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत है, तो उसे पोषण ट्रैकर में प्रवास सुविधा के माध्यम से रहने की अवधि के दौरान नए आंगनवाड़ी केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा। पोषण ट्रैकर के तहत लाभार्थियों के लिए एक राज्य के भीतर और बाहर एक आंगनवाड़ी केंद्र से दूसरे आंगनवाड़ी केंद्र में स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की गई है। लाभार्थी की एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरण की सुविधा भी उपलब्ध है।
- स्थानीय, ताज़ी सब्ज़ियां, फल और जड़ी-बूटियां उपलब्ध कराने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर **6.42 लाख पोषण वाटिकाएँ या पोषण-उद्यान** लगाए गए हैं। इसके अलावा, छह राज्यों में 1.1 लाख औषधीय पौधे लगाए गए हैं।
- 10 मई, 2023 को शुरू किया गया **पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी)** एक अग्रणी ईसीसीई कार्यक्रम है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप आंगनवाड़ी केंद्रों पर दुनिया का सबसे बड़ा, सार्वभौमिक, उच्च गुणवत्ता वाला प्री-स्कूल नेटवर्क विकसित करने में भारत की मदद करेगा।
- **आयुष मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन:** मंत्रालय ने आयुर्वेद पहलों के माध्यम से किशोरियों में पोषण सुधार के लिए फरवरी 2024 में आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों मंत्रालयों ने एनीमिया से ग्रस्त जिलों (जहां एनीमिया का औसत प्रसार लगभग 69.5% है) में लगभग 95,000 किशोरियों के पोषण में सुधार के उद्देश्य से इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना पांच जिलों के लगभग 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर करेगी।
- **पीएम जनमन:** पीएम-जनमन के तहत कुल 2139 आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) स्वीकृत किए गए हैं और जिनमें से देश भर में अब तक 1001 एडब्ल्यूसी चालू हो चुके हैं।

II. मिशन शक्ति

- **महिला हेल्पलाइन- "एक राष्ट्र एक हेल्पलाइन":** महिला हेल्पलाइन को 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल को छोड़कर) में कार्यशील किया गया है और 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (112) के साथ एकीकृत किया गया है। 2023-24 में, कुल 21.1 लाख कॉल प्राप्त हुए हैं और 10.08 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा, 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला हेल्पलाइन को चाइल्ड हेल्पलाइन और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों को निर्बाध हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए आज तक 251 वन स्टॉप सेंटरों को डब्ल्यूएचएल के साथ एकीकृत किया गया है।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई):** प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 27 अक्टूबर 2023 को मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नए पीएमएमवीवाई पोर्टल (पीएमएमवीवाई सॉफ्ट एमआईएस) के लिए नागरिकों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों, पर्यवेक्षकों, मंजूरी अधिकारियों, जिला नोडल अधिकारियों और राज्य नोडल अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए एक व्यापक प्रयोक्ता नियमावली (मैनुअल) जारी करना शामिल था।
- महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए व्यापक योजना "मिशन शक्ति" के तहत उप-योजना 'सामर्थ्य' का एक घटक **महिला सशक्तीकरण केंद्र** शुरु किया गया है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय (एनएचईडब्ल्यू), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (एसएचईडब्ल्यू) और जिला स्तर (डीएचईडब्ल्यू) पर महिलाओं के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करके ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें।
- शक्ति सदन घटक विशेष रूप से निराश्रित महिलाओं और कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की सेवा के लिए बनाया गया है। शक्ति सदन घटक के तहत, प्रदान की जाने वाली सेवाओं में से एक ऐसे घरों के निवासियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है। इसके अलावा, महिला हेल्पलाइन (181), जो सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए उन्हें उचित अधिकारियों से जोड़कर 24 घंटे की आपातकालीन और गैर-आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है। यह देश भर में

महिलाओं के कल्याण की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी प्रदान करती है।

III. मिशन वात्सल्य

• मॉडल पालन-पोषण देखरेख दिशानिर्देश 2024

- मॉडल पालन-पोषण देखरेख दिशानिर्देश 2024 दिनांक 26.4.2024 को जारी किए गए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए। किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 और किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल संशोधन नियमावली, 2022 में संशोधन के मद्देनजर दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।
- संशोधित दिशानिर्देश पालन-पोषण देखरेख के बारे में हितधारकों के बीच स्पष्टता, दक्षता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को लंबे समय तक बाल देखरेख संस्थानों में रहने के बजाय परिवार जैसी स्थितियों में रहने की सुविधा प्रदान करना है। दिशानिर्देशों में पालन-पोषण देखरेख के संचालन के लिए प्रक्रियागत स्पष्टता, पात्रता की शर्तें और विस्तृत कदम बताए गए हैं और ऐसी पालन-पोषण देखरेख अंततः उसी पालक परिवार द्वारा गोद लेने की ओर ले जाती है जिसने बच्चे को दो साल की अवधि के लिए अपनी देखभाल में रखा है।

*****

अनुलग्नक I

दिनांक 07.02.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 698 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

I मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2021-22 में जारी की गई निधि**	**2022-23 में जारी की गई निधि**	**2023-24 में जारी की गई निधि**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	19.71	3.85	12.15
2	आंध्र प्रदेश	744.6	827.79	705.68
3	अरुणाचल प्रदेश	170.83	137.78	162.06
4	असम	1319.9	1651.63	2233.31
5	बिहार	1574.43	1740.09	1859.29
6	चंडीगढ़	15.32	33.1	19.79
7	छत्तीसगढ़	606.73	668.96	579.46
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	9.33	5.8	11.97
9	दिल्ली	133.11	182.77	161.81
10	गोवा	10.84	14.71	13.95
11	गुजरात	839.86	912.64	1126.8
12	हरियाणा	173.03	195.25	225.78
13	हिमाचल प्रदेश	247.99	270.24	301.09
14	जम्मू एवं कश्मीर	405.74	479.01	530.88
15	झारखंड	352.98	430.91	664.3
16	कर्नाटक	1003.7	765.87	912.96
17	केरल	388.23	444.98	306.64
18	लद्दाख	14.7	18.79	19.62
19	लक्षद्वीप	2.11	0.44	2.88
20	मध्य प्रदेश	1085.47	1011.57	1123.11
21	महाराष्ट्र	1713.39	1646.17	1699.52
22	मणिपुर	228.92	135.95	201.28
23	मेघालय	173.33	192.39	269.69
24	मिजोरम	59.32	42.81	100.27
25	नागालैंड	159.8	199.3	262.91
26	ओडिशा	1065.98	923.92	968.8
27	पुदुच्चेरी	2.78	0.12	4.48

28	पंजाब	383.52	75.31	307.87
29	राजस्थान	682.65	974.02	1091.96
30	सिक्किम	25.73	20.33	33.49
31	तमिलनाडु	655.38	766.81	880.79
32	तेलंगाना	482.33	550.69	507.87
33	त्रिपुरा	186.72	150.52	244.22
34	उत्तर प्रदेश	2407.55	2721.87	2668.69
35	उत्तराखंड	353.65	425.84	288.24
36	पश्चिम बंगाल	668.35	1227.59	1237.56

II मिशन वात्सल्य

(लाख रुपये)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2021-22 में जारी की गई निधि**	**2022-23 में जारी की गई निधि**	**2023-24 में जारी की गई निधि**
1	आंध्र प्रदेश	476.46	3677.98	2500.76
2	अरुणाचल प्रदेश	487.92	2936.49	2435.38
3	असम	864.69	3734.67	5966.27
4	बिहार	2203.21	3454.25	6518.02
5	छत्तीसगढ़	1870.35	765.05	4465.94
6	गोवा	3.43	5.77	0
7	गुजरात	697.24	2329.53	4710.23
8	हरियाणा	931.24	2938.82	1616.98
9	हिमाचल प्रदेश	1453.9	3091.73	2115.30
10	जम्मू एवं कश्मीर	1929.69	2822.85	4364.48
11	झारखंड	1248.02	743.48	3765.91
12	कर्नाटक	4252.11	5856.93	9093.83
13	केरल	607.45	1284.89	2227.19
14	मध्य प्रदेश	3057.44	4690.78	6084.94
15	महाराष्ट्र	5467.46	7132.66	9537.68
16	मणिपुर	3606.76	4826.75	2923.85
17	मेघालय	1005.91	333.07	3127.99
18	मिजोरम	1957.58	1503.31	5309.45
19	नागालैंड	1842.69	2630.86	2928.28
20	उड़ीसा	4019.15	3755.49	6028.17
21	पंजाब	172.57	1069.08	1543.98
22	राजस्थान	1542.75	6600.22	4283.88
23	सिक्किम	807.59	1047.25	579.74
24	तमिलनाडु	7669.71	5102.93	12869.99

25	तेलंगाना	3850.65	2824.95	3998.02
26	त्रिपुरा	977.46	159.54	3209.03
27	उत्तर प्रदेश	4553.91	6604.67	10356.62
28	उत्तराखंड	507.9	365.91	3263.37
29	पश्चिम बंगाल	3970.45	2663.81	5742.44
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	7.5	374.79	268.01
31	चंडीगढ़	162.83	523.78	582.85
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	142.98	389.9	319.34
33	दिल्ली	794.51	1506.95	388.77
34	लक्षद्वीप	5.05		35.66
35	लद्दाख	126.17	142.44	438.89
36	पुदुच्चेरी	271.5	584.46	566.87

III मिशन शक्ति

क. सम्बल

(लाख रुपये)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2021-22 में जारी की गई निधि**	**2022-23 में जारी की गई निधि**	**2023-24 में जारी की गई निधि**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	110.70	40.84	231.85
2.	आंध्र प्रदेश	435.77	592.96	674.58
3.	अरुणाचल प्रदेश	535.84	647.99	902.90
4.	असम	758.77	1019.61	1783.08
5.	बिहार	683.12	660.00	105.33
6.	चंडीगढ़	86.60	99.42	50.60
7.	छत्तीसगढ़	677.12	1092.23	937.64
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3.18	0.00	77.99
9.	गोवा	47.05	77.56	55.20
10.	गुजरात	1324.19	726.76	1830.76
11.	हरियाणा	594.74	186.75	1170.98
12.	हिमाचल प्रदेश	322.82	137.90	683.45
13.	जम्मू एवं कश्मीर	492.90	0.00	934.36
14.	झारखंड	506.78	290.00	82.80
15.	कर्नाटक	621.55	880.88	1148.63
16.	केरल	330.69	476.88	41.40
17.	लद्दाख	30.01	0.00	61.20
18.	लक्षद्वीप	15.00	0.00	44.40

19.	मध्य प्रदेश	1819.41	885.65	2227.39
20.	महाराष्ट्र	684.03	69.37	1539.69
21.	मणिपुर	570.68	543.29	268.77
22.	मेघालय	352.40	280.78	349.16
23.	मिजोरम	442.57	178.05	632.45
24.	नागालैंड	789.65	754.85	759.13
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	184.69	218.56	184.78
26.	ओडिशा	902.29	1069.67	1139.10
27.	पुदुच्चेरी	67.24	18.25	54.99
28.	पंजाब	741.51	0.00	1083.91
29.	राजस्थान	1563.93	581.79	1634.19
30.	सिक्किम	159.81	77.48	243.69
31.	तमिलनाडु	810.75	1502.93	2010.38
32.	तेलंगाना	1110.57	2286.26	1217.41
33.	त्रिपुरा	135.75	198.21	200.00
34.	उत्तर प्रदेश	2954.95	363.68	4001.93
35.	उत्तराखंड	563.33	216.33	890.89
36.	पश्चिम बंगाल	227.32	28.41	0.00

ख. सामर्थ्य

(लाख रुपये)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2021-22 में जारी की गई निधि**	**2022-23 में जारी की गई निधि**	**2023-24 में जारी की गई निधि**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	126.26	76.6	71.66
2.	आंध्र प्रदेश	2022	7401.49	1188.33
3.	अरुणाचल प्रदेश	67.83	450.17	0
4.	असम	3547	8479.42	18692.1
5.	बिहार	21174	17479.01	53.09
6.	चंडीगढ़	189	121.72	481.57
7.	छत्तीसगढ़	3892.21	7541.46	2102.07
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	242.6	152.68
9.	गोवा	111.68	161	39.18
10.	गुजरात	4701.7	1341.46	7963.08
11.	हरियाणा	4002	6547.65	0
12.	हिमाचल प्रदेश	2126.13	1579.06	1301.71
13.	जम्मू एवं कश्मीर	3959.64	2060	4884.62
14.	झारखंड	5839	2939.03	1283.11

15.	कर्नाटक	14916.98	14969.69	13336.2
16.	केरल	5656.99	5899.97	6875.96
17.	लद्दाख	38	76.75	125.74
18.	लक्षद्वीप	11	46.9	24.12
19.	मध्य प्रदेश	13295.26	20425.17	11388.03
20.	महाराष्ट्र	9950	24083	1492
21.	मणिपुर	279.7	2395.31	3795.91
22.	मेघालय	528.74	782.83	408.59
23.	मिजोरम	495.57	344.26	811.71
24.	नागालैंड	594.09	203	1104.08
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2842.52	3242.84	2960.42
26.	ओडिशा	473.83	132.38	246.1
27.	पुदुच्चेरी	249.8	310.81	81.66
28.	पंजाब	1647	2071.36	3205
29.	राजस्थान	10820	8450.46	12782.54
30.	सिक्किम	52.65	70	270.37
31.	तमिलनाडु	5581.25	7984.78	2437.61
32.	तेलंगाना	0	266.46	994.81
33.	त्रिपुरा	653.28	437.57	1252.79
34.	उत्तर प्रदेश	29175.2	50816.53	39.17
35.	उत्तराखंड	2071	1837.39	3250.05
36.	पश्चिम बंगाल	4912.84	6322	720.35

अनुलग्नक II

दिनांक 07.02.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 698 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मंत्रालय की योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या

I. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (31.12.2024 तक)

क) लाभार्थी (6 वर्ष से कम आयु के) बच्चे: 84,477
ख) लाभार्थी गर्भवती महिलाएं: 5,390
ग) लाभार्थी स्तनपान कराने वाली माताएं: 5,207
घ) लाभार्थी किशोरियां: 22,536

II. मिशन वात्सल्य (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए)

क) संस्थागत देखरेख के तहत लाभार्थी: 3497
ख) गैर-संस्थागत देखरेख के तहत लाभार्थी: 21680

III. मिशन शक्ति (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए)

क) शक्ति सदन के लाभार्थी: 17
ख) पीएमएमवीवाई (मातृत्व लाभ भुगतान) के तहत लाभार्थी:

i. पहले बच्चे के लिए नामांकित लाभार्थी: 448
ii. दूसरे बच्चे के लिए नामांकित लाभार्थी: 145

*****